

उदयराज सिंह विरुद्ध सूर्यप्रताप सिंह

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 २१६-दो/ 14


जिला – सतना

रथान तथा दिनांक	आयवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१०.७.१५	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश द्वारा अधीनरथ न्यायालय ने अदम पैरवी की कार्यवाही को स्वीकार किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनरथ न्यायालय की कार्यवाही में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अधीनरथ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आवेदक सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p>(एम.क. सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर</p>	

न्यायालय श्रीमान् अमृत महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्ड रीवा

म0प्र0

W.S.
20-3-14



उदयराज सिंह तनय श्री रामराज सिंह उम्र 75 वर्ष पेशा खेती एवं
बकालत साकिन महुरछ कदैला तहसील रामपुर बाघेलान ज़िला सतना
म0प्र0 निगराकार / अनावेदक

बनाम

1: सूर्यप्रताप सिंह (फौत) वारिस पुत्र

क: भूमोहन सिंह

ख: शिवेन्द्र सिंह

ग: गोविन्द सिंह

घ: सुरेन्द्र सिंह

ड: विजय सिंह सभी निवासी ग्राम सज्जनपुर तहसील रामपुर
बाघेलान ज़िला सतना म0प्र0 गैरनिगराकार / आवेदक

श्री रामकेश कुमार फिरा म ..एड
द्वारा आज दिनांक 20-03-14 के
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50

म0प्र0भूराठसं0 1959 विरुद्ध मातहत

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार तहसील

रामपुर बाघेलान ज़िला सतना म0प्र0

प्रकरण क्र0 70ए27 / 08--09 मे पारित

आदेश दिनांक 02 / 01 / 2014

मान्यवर,

उक्त उन्मान के प्रकरण मे निगराकार की ओर से
निम्नलिखित तथ्यो के आधार पर निगरानी प्रस्तुत है :-

01: यह कि गैरनिगराकार/आवेदक की ग्राम सज्जनपुर की
आराजी नं0 339, आराजी नं0 38/1, आराजी नं0 39, एवं 69

.....